दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 02 मई 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-01, अंक-2

शिवसेना ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बुर्के पर बैन की मांग की

» बीजेपी ने किया विरोध

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने श्रीलंका में बुर्के पर बैन के बाद हिन्दुस्तान में भी ऐसी पाबंदी की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में श्रीलंका सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बुर्के पर बैन की मांग करते हुए संपादकीय लिखा गया है।

शिवसेना ने यह मांग तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रैली करने वाले हैं। शिवसेना ने ईस्टर के मौके पर हुए श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट के मद्देनजर यह मांग की है कि देश में बुर्के पर बैन लगाया जाए। शिवसेना ने केंद्र सरकार की ट्रिपल तलाक मुद्दे पर तारीफ की लेकिन यह भी अपील की कि बुर्के और नकाब पर बैन लगाए जाएं। बीजेपी ने शिवसेना की इस मांग का विरोध किया है। श्रीलंका विस्फोट के बाद हुई मौत के आकड़े को बढ़ाकर बताते हुए शिवसेना ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद की वजह से श्रीलंका में 400 लोगों की बलि चढ़ गई। लिट्टे आतंकवाद से श्रीलंका उबरा तो इस्लामिक आतंकवाद हावी हो गया। साथ ही शिवसेना ने श्रीलंका के साथ भारत के आध्यात्मिक रिश्ते का भी जिक्र किया है। वहीं शिवसेना के बुर्के पर बैन लगाने वाली मांग पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि भारत में बुर्के पर बैन की कोई जरूरत नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, मौजूदा सरकार ने 'ट्रिपल तलाक' के खिलाफ कानून बनाकर पीड़ित मुस्लिम महिलाओं का शोषण आदि रोक दिया है।

यह स्वीकार है लेकिन भीषण बम विस्फोट के बाद श्रीलंका में बुर्का और नकाब सहित चेहरा ढंकनेवाली हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी श्रीलंका के राष्ट्रपति के कदमों पर कदम रखते हुए हिंदुस्तान में भी 'बुर्का' और उसी तरह 'नकाब' बंदी करें, ऐसी मांग राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं। फ्रांस में भी आतंकवादी हमला होते ही वहां की सरकार ने बुर्का पर बैन लगाया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी यही हुआ। फिर इस बारे में हिंदुस्तान पीछे क्यों? शिवसेना ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि बुर्के पर बैन रावण की लंका में हो गया यह राम की अयोध्या में कब होगा? शिवसेना ने दावा किया कि बुर्के का इस्तेमाल कर देशद्रोह और आतंकवाद फैलाने के उदाहरण सामने आए हैं। तुर्किस्तान इस्लामी राष्ट्र है लेकिन कमाल पाशा को जब संदेह हुआ कि बुर्के की आड़ में कुछ हो रहा है तो उसने अपने देश में मुस्लिम युवकों की दाढ़ी और बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया।

एसएएस पायलटों की हड़ताल जारी रहने के कारण बुधवार की 500 उड़ानें रद्द

स्टॉकहोम। स्कैंडिनेवियाई एयरलाइंस (एसएएस) के पायलट की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। इसके कारण बुधवार को 500 उड़ानों को रद्द करना पड़ा और इससे 47000 यात्री प्रभावित होने की संभावना है। एसएएस के अनुसार मंगलवार को 546 उड़ानों को रद्द किया गया। इससे 48000 यात्री प्रभावित हुए। हड़ताल के कारण अब तक कुल 3... उड़ानों को रद्द किया गया हैं। उल्लेखनीय है कि एसएएस और स्वीडिश एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के बीच अंतिम मिनट की बातचीत समझौता टूटने के बाद पिछले शुक्रवार को हड़ताल शुरू हुई थी। इसके कारण 492 स्वीडिश एयरलाइन पायलट हड़ताल पर चले गए थे। एसएएस के अध्यक्ष और सीईओ रिकार्ड गुस्ताफसन ने कहा कि पायलट हड़ताल का समाधान नहीं होने के कारण मैं चिंतित हूं।

महत्वपूर्ण एवं खास

गैस चूल्हे के गोदाम में लगी भीषण आग, एक बच्ची समेत पांच लोगों की मौत

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इन्दिरानगर क्षेत्र में गैस चूल्हे के गोदाम में हुए भीषण अग्निकांड में एक दम्पति और बच्ची समेत परिवार के पांच सदस्यों की जलने से मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन्दिरानगर क्षेत्र में मायावती कॉलोनी के पास राम विहार फेज-2 में टी एन सिंह के घर में बनाए गए गैस चूल्हे के गोदाम में देर रात आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जलकर मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि यह हादसा शार्ट सर्किट से हुआ है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को आग लगने की सूचना रात करीब पौने तीन बजे मिली। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस ने मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरु किया। आग पर काबू करने के लिए घटना स्थल पर 12 दमकल की गाड़ियां पहुंची। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे के वक्त मकान मालिक टीएन सिंह बाहर गए हुए थे।

भारत और बांग्लादेश में बड़ा हमला करने की फिराक में आईएस

पोस्टर जारी कर दी धमकी

नईदिल्ली (आरएनएस)। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए सीरियल बम धमाकों के बाद अब आईएस के आतंकी भारत और बांग्लादेश में बड़े हमले करने की फिराक में है। इस्लामिक स्टेट से संबंधित एक समूह ने दोनों देशों को धमकी दी है। आईएस ने बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में एक पोस्टर जारी किया है। जिसमें लिखा है, यदि आपको लगता है कि बंगाल और हिंद में आपने खलीफा के सैनिकों को चुप करवा दिया है और आप इसे लेकर निश्चित है तो सुनिए हम कभी चुप होने वाले नहीं हैं और बदला लेने की प्यास कभी बुझती नहीं है। यह पोस्टर ऐसे समय पर जारी किए गए हैं जब एक दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट ने ढाका मे एक सिनेमा हॉल के पास मामूली धमाका किया था।

पीएम को क्लीन चिट देने पर भड़की कांग्रेस

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है. बता दें कि मंगलवार को आयोग ने कहा था कि पीएम ने रैली में भाषण देते हुए आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया था. आज कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर हमला किया. उन्होंने लिखा, हमलोग काफी दुखी हैं कि आर्टिकल 324 और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के बावजूद पीएम को चुनाव आयोग ने छोड़ दिया. मोदी जी और दूसरों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हो सकता. अब ये साफ हो गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 आरोपियों को किया बरी

984 दंगा मामले में बदला हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1984 सिख-विरोधी दंगा मामले में सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए 15 दोषियों को बरी कर दिया। इन लोगों को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगा भड़काने के लिए दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इनके खिलाफ दंगों में शामिल रहने के न तो सीधे सबूत मिले और ना ही गवाहों ने उनकी पहचान की, लिहाजा इन्हें बरी किया जाए। 28 नवंबर 2018 को 1984 में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों के सिलसिले में दायर 88 दोषियों की सजा बरकरार रखा था। फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।

महिलाओं के लिए चलेगी 8 कोच वाली नई मेमू ट्रेन

नई दिल्ली (आरएनएस)। पैसेंजर ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने एक नई मेमू महिला स्पेशल ट्रेन तैयार की है। यह ट्रेन किस रूट पर चलेगी अभी यह तय नहीं हुआ है। यह ट्रेन गाजियाबाद स्थित ईएमयू कार शेड में खड़ी है। रेल प्रबंधक, दिल्ली मंडल एससी जैन ने बताया कि इस नई ट्रेन को मेमू ट्रेन के पुरानें डिब्बों को सुधार कर बनाया गया है। इसके कुल आठ कोच तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी छह को चलाने की ही योजना है। दो कोच को स्पेयर में रखा जाएगा, ताकि किसी डिब्बे में खराबी आने पर उसे इन दो से बदला जा सके। इससे ट्रेन का परिचालन प्रभावित नहीं होगा। महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कोच में सुधार करके नई मेमू ट्रेन तैयार की गई है। इसके अंदर सीट, शौचालय आदि सुविधाओं के साथ ही इसके रंग का विशेष ध्यान रखा गया है। स्टेनलेस स्टील की सीटें रू नई ट्रेन को बाहर से गुलाबी और सफेद रंग दिया गया। इसमें स्टेनलेस स्टील की सीटें लगाई गई हैं। इसका फ्रंट पीले रंग का है। नई ट्रेन में फर्श पूर्व की तरह लकड़ी की बजाए पीवीसी का लगाया गया है। वहीं, 450 एमएम आकर वाले पंखे लगाए गए हैं और आधुनिक शौचालय बनाया गया है। पुरानी ट्रेन बदहाल रू अभी नई दिल्ली से पलवल, नई दिल्ली से गाजियाबाद और नई दिल्ली से पानीपत रूट पर ही महिला स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। यह ट्रेन काफी पुरानी है और इनमें यात्री सुविधाओं का अभाव है।

मासूम बच्चियों का रेप कर कुएं में दफना देता था श...

पुलिस ने किया गिरफ्तार

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना के हाजीपुर गांव में 14 साल की लड़की के लापता होने के बाद खोजबीन के दौरान इलाके से 100 किमी दूर एक गहरे, सूखे कुएं में 3 लड़कियों के कंकाल मिले. 11 से 17 साल की इन तीन लड़कियों की एक सीरियल किलर ने यौन शोषण करने के बाद हत्या कर दी और उन्हें इस कुएं में दफन कर दिया.

मामले की शुरुआत तब हुई जब 14 साल की एक लड़की के परिवार वाले ने एक हफ्ते पहले बोम्मलाराम मंडल पुलिस थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.

इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 27 साल के मैरी श्रीनिवास रेड्डी को पकड़ा, जिसने यह कबूल किया कि उसने गायब हुई नाबालिग का बलात्कार किया था. रेड्डी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने नाबालिग के शरीर को अपने खेत में बने 50 फीट गहरे कुएं में दफना दिया था. रेड्डी ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली पीड़िता को स्कूल के लिए लिफ्ट देने के बहाने उसका अपहरण कर लिया फिर उसके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी. आरोपी ने लड़की के शव और उसके स्कूल बैग को वहीं कुंए में दफना दिया. आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से शुक्रवार को लड़की का शव बरामद हुआ. लड़की का शव और स्कूल बैग उसी कुंए से मिला जिसके बारे में आरोपी ने पुलिस को बताया था. लेकिन इन सबके बीच जब पुलिस इस मामले की विशेष जांच के लिए सबूत की खोज कर रही थी वहीं उन्हें कुंए में दफन 17... की एक और लड़की का भी... मिला.

रेड्डी ने उसका भी उत्पीड़न कर मार्च में उसकी... कर दी थी. पुलिस ने बताया आरोपी ने इस घटना को भी... तरह अंजाम दिया जैसा कि... 14 साल की लड़की के... में किया था. जब ना... कॉलेज से घर जा रही थी... आरोपी ने उसे लिफ्ट दे... पेशकश की और फिर... साथ यौन उत्पीड़न किया... के क्षत-विक्षत शव के... उसका बैग भी मिला... मौजूद आधार कार्ड से... की पहचान हो पाई.

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में भाजपा से कम नहीं है कांग्रेस : मायावती

लखनऊ (आरएनएस)। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के मामले में कांग्रेस भाजपा से कम नहीं है। मायावती ने ट्वीट किया, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं। उन्होंने कहा, एमपी :मध्य प्रदेश: की गुना लोकसभा सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को कांग्रेस ने डरा-धमकाकर जबर्दस्ती बैठा दिया है किन्तु बीएसपी अपने सिम्बल पर ही लड़कर इसका जवाब देगी और अब कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर भी पुनर्विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है बयान पर राहुल ने मांगी माफी

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है टिप्पणी को गलत तरीके से सर्वोच्च न्यायालय से जोड़ने के लिए मंगलवार को शीर्ष अदालत से माफी मांग ली। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गांधी की तरफ से माफी मांगी। इसके एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस पर एक जवाब दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया था। गांधी ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने चुनाव प्रचार की धुन में टिप्पणी की थी और उनकी टिप्पणी का मकसद किसी भी रूप में अदालत को विवादों में घसीटना नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राहुल को एक नोटिस जारी कर उनकी टिप्पणी पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

राहुल गांधी ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। राहुल गांधी ने अंतिम मौका मांगा। राहुल के वकील सिंघवी ने कहा जो हलफनामे में कहा गया है वह माफी ही है। कोर्ट ने राहुल को सोमवार से पहले हलफनामा फाइल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यह हम तय करेंगे कि हलफनामे को स्वीकार करना है या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने श्री गांधी के हलफनामे से असंतोष जताया। न्यायमूर्ति गोगोई ने हलफनामे में प्रयुक्त शब्द खेद को कोष्ठक में रखे जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा, हम इसे ठीक से समझ नहीं पाये। इस पर गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल नया हलफनामा दायर करेंगे, इस पर न्यायालय ने उन्हें नये हलफनामे के लिए अगले सोमवार तक का समय दिया।

सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने (राहुल गांधी) जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है। जबकि अवमानना मामलों में कानून बिना शर्त माफी के साथ शुरू होता है।

नारायण साईं को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना

» साध्वी से रेप का मामला

सूरत (आरएनएस)। रेप केस में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू के पुत्र नारायण साईं को आज सजा सुना दी गई। सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर नारायण साईं जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। नारायण साईं के साथ उसके सहयोगी रहे गंगा, जमुना और हनुमान उर्फ ... को दस साल और पांच हजार रुपये जुर्माना जबकि ... मल्होत्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही ... ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दे... भी घोषणा की है। ये मामला 11 साल पुराना है। ... और आसाराम के खिलाफ सूरत की दो बहनों ने दुष्क... आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान... सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था।

राफेल पुनर्विचार याचिका पर 6 मई को होगी सुनवाई

» सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुनवाई टालने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर दाखिल पुनर्विचार याचिका की सुनवाई को टालने की केंद्र की गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं उच्चतम कोर्ट ने केंद्र से शनिवार तक जवाब दाखिल करने को कहा जिससे सोमवार को अगली सुनवाई हो सके। मामले की सुनवाई कर रही बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय कौल और के एम जोसफ शामिल थे।

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की तरफ से गुजारिश की गई थी कि राफेल पर सुनवाई को करीब 4 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए नए दस्तावेजों के हिसाब से जवाब तैयार करने में उन्हें करीब 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। इसपर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्र को अपना जवाब शनिवार तक देना है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुनवाई को टालने की भी गुजारिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र को अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी।

बता दें कि इसी महीने की 10 तारीख को राफेल केस में प्रिंट से सुनवाई की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया।

सरकार के रोजाना के कामकाज में दखल का हक न...

» मद्रास हाई कोर्ट से किरण बेदी को बड़ा झटका

पुडुचेरी (आरएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने किरण बेदी को हिदायत देते हुए कहा है कि आप बतौर पुडुचेरी की गवर्नर केंद्र शासित राज्य के काम में दखल देने का अधिकार नहीं रखती हैं. कोर्ट ने उन्हें राज्य के रोजाना के काम में दखल न देने के लिए कहा है.

बता दें कि अदालत पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी सियासी घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. नारायणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रहीं हैं.

किरण बेदी ने क्या कहा

कोर्ट की टिप्पणी के बाद किरण बेदी ने कहा कि सीएम के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार जनता के लिए कम कर रही है. अभी हम फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और उसे पढ़कर ही जवाब देंगे.उधर सीएम ने भी कहा है कि वे पहले जजमेंट पढ़ेंगे फिर कोई प्रतिक्रिया देंगे.

बता दें कि बीती फरवरी में सीएम नारायणसामी और उनके

कैबिनेट ने किरण बेदी घर के बाहर धरना भी दिया था. नारायणसामी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि किरण बेदी कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं.

सीएम ने किरण बेदी की शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की थी. सीएम... आरोप है कि किरण... सरकारी कामों में... संस्थाओं को ज्यादा मह... रही हैं. किरण बेदी के रि... लगाए आरोपों का डीएमके... भाकपा भी सर्थन करते र...

बता दें कि किरण बेदी ने इ... एक तस्वीर ट्वीट कर सी... सीधा निशाना साधा था... कहा था- क्या यह का... मिस्टर सीएम यदि कोई... आदमी आपके कार्याल... बाहर ऐसा करे तो कैसा... आप पुलिस से क्या कर... अपेक्षा करते हैं कृप... कीजिए, क्या स्थानीय... कार्रवाई करेगी.